बारानी क्षेत्रों में जलग्रहण क्षेत्र विकास आधारित जीविकापार्जन

जी.एल. बागड़ी, एन.डी. यादव, वी.एस. राठौड़, एन.एस. नाथावत एवं सीमा भारद्वाज

भा.कृ.अनु.प.–केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान प्रादेशिक अनुसंधान स्थात्र, बीकानेर–334004

वर्ष 1994 में, सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डी. पी. ए. पी.) और मरूभूमि विकास कार्यक्रम (डी.डी.पी) की कमियों को पता लगाने तथा उनमें सुधार लाने के लिए उपाय सुझााने के उद्देश्य से इनका मूल्यांकन करने हेतु प्रो. सी. एच. हनुमंत राव की अध्यक्षता में एक तकनीकी समिति नियुक्त की गई थी। ध्यानपूर्वक मूल्यांकन करने के पश्चात् समिति ने यह विचार व्यक्त किया था कि "कार्यक्रमों को विभिन्न विभागों द्वारा स्थानीय निवासियों को शामिल करके वाटरशेड आधार पर सुनियोतिक योजनाएं तैयार किए बिना ही कड़े मार्गदर्शी सिद्धांतों के जरिए विखण्डित रूप में कार्यान्वित किया गया है। कुछेक स्थानों को छोड़कर, उपलब्धियाँ इष्टतम नहीं रही हैं। इन क्षेत्रों में वन आच्छादन में कमी आने, भू–जल स्तर नीचे गिरने तथा पेयजल, ईंधन एवं चारे में कमी होने के साथ–साथ पारिस्थितिकीय अवक्रमण अनवतरत रूप से जारी है।" (हनुमंत राव समिति, 1994, आमुख)

इन कमियों को दूर करने के लिए समिति ने बहुत सी सिफारिशें की थी तथा मार्गदर्शी सिद्धांतों को एक सेट तयार किया था जिससे मरूभूति विकास कार्यक्रम (डी. डी. पी.), सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डी. पी. ए. पी.) तथा समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम (आई. डब्ल्यू. डी. पी.) को एक निकाय के अंतर्गत लाया गया था। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा वर्ष 1994 से 2001 तक की अवधि के दौरान आरंभ की गई वाटरशेड परियोजनाओं में इन मार्गदर्शी सिद्धांतों को अनुसरण किया गया था। वर्ष 2000 में कृषि मंत्रालय ने अपने कार्यक्रम, वर्षा सिंचित क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय वाटरशेड विकास परियोजना (एन. डब्ल्यू. डी. पी. आर. ए.) के लिए अपने मार्गदर्शी सिद्धांतों को संशोधित किया था। इसका उद्देश्य यह था कि इन मार्गदर्शी सिद्धांतों को संशोधित किया था। इसका उद्देश्य यह था कि इन मार्गदर्शी सिद्धांतों को कार्यक्रम को अधिक सहकायी सतत् माना जाए। तथापि, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने हनमुंत राव समिति, 1994 के मार्गदर्शी सिद्धांतों को वर्ष 2001 में संशोधित किया था तथा वर्ष 2003 में 'हरियाली मार्गदर्शी सिद्धांतों' के नाम से इन्हें पुनः संशोधित किया था।

इस संदर्भ में सभी मंत्रालयों द्वारा एकीकृत पद्धति अपनाए जाने को मद्दे नजर रखते हुए योजना आयोग के साथ समन्वय से "वाटरशेड विकास परियोजनाओं के लिए समान मार्गदर्शी सिद्धांत" तैयार करने हेतु एक प्रयास किया गया है। अतः ये मार्गदर्शी सिद्धांत वाटरशेड विकास परियोजनाओं से संबंधित भारत सरकार के सभी विभागों/ मंत्रालयों की सभी वाटरशेड विकास परियोजनाओं के लिए लागू हैं।

Scanned with CamScanner

जलग्रहण (वाटरशेड) विकास परियोजनाओं के लिए समान मार्गदर्शी सिद्धांत की मुख्य विशेषताऐं निम्नानुसार उल्लेख है :–

1. **वाटरशेड परियोजना स्तर पर संस्थागत व्यवस्थाएं :**

1.1 परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी (पी. आई. ए.) :

राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी (एस. एल. एन. ए.) उन परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों (पी. आई. ए.) के चयन तथा अनुमोदन हेतु उपयुक्त प्रक्रिया तैयार करेगी, जो विभिन्न जिलों में वाटरशेड परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी होगी। इन परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों में राज्य/केन्द्र सरकार के अंतर्गत संग समनुरूप विभागों, स्वायत्त संगठनों, सरकारी संस्थानों/अनुसंधान निकायों, मध्यवर्ती पंचायतों, स्वयंसेवी संगठनों (वी. ओ.) को शमिल किया जा सकता है। तथापि इन परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों के चयन के लिए निम्नलिखित मानदंडों का पालन किया जाएगा:–

- उन्हें अधिमानतः वाटरशेड संबंधित पहलुओं या वाटरशेड विकास परियोजनाओं के प्रबंधन में पूर्व अनुभव होना चाहिए।
- उन्हें समर्पित वाटरशेड विकास दलों के गठन के लिए तैयार होना चाहिए।

स्वयंसेवी संगठनों (वी. ओ.) की कार्यक्रम में महत्वपूर्ण भूमिका होगी और उनकी सेवाएं अन्य क्षेत्रों के साथ–साथ जागरूकता सृजन, क्षमता निर्माण, आई. ई. सी. तथा सामाजिक लेखाजोखा के क्षेत्रों में पर्याप्त रूप से उपयोग में लायी जायेगी। जहां तक कार्यक्रम के सीधे ही कार्यान्वयन का संबंध है, नीचे दिए गए विस्तृत मानदंडों के आधार पर प्रमाणित पूर्ववृत्त वाले स्वयंसेवी संगठनों (वी. ओ.) का परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में चयन किया जा सकता है।

परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में चयन किए जाने हेतु स्वयंसेवी संगठनों (वी. ओ.) द्वारा निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करना आपश्यक होगा –

क) यह कम से कम 5 वर्षो की अवधि से एक पंजीकृत विधिक इकाई होनी चाहिए।

ख) इसे सामुदायिक आधारित प्राकृति संसाधन प्रबंधन तथा जीविका विकास के खेत्र में कम से कम 3 वर्षो का क्षेत्र अनुभव होना चाहिए।

ग) इस कपार्ट या भारत सरकार के किसी अन्य विभाग अथवा राज्य सरकार द्वारा काली सूची में डाला गया नहीं होना चाहिए।

घ) इसे महला–पुरूष समानता वाले एक समर्पित बहु–विधा सम्पन्न दल से लैस होना चाहिए।

ङ) इस तीन वर्षो का तुलन पत्र, लेखों के लेखापरीक्षित विवरण तथा आय विवरणियां प्रस्तुत करनी चाहिए। संगठन के सभी लेखे अद्यतन होने चाहिए।

च) इसे अपने निदेशक मंडल का ब्यौरा प्रस्तुत करना चाहिए।

Scanned with CamScanner

छ) इसके द्वारा स्वतंत्र रूप से सफलतापूर्वक परियोजनाएं कार्यान्वित की गई हो।

यह निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन होगा :

(i) किसी भी समय पर एक स्वयं सेवी संग्ठन को एक जिले में 10,000 हैक्टेशर से अधक क्षेत्र नहीं सौंपा जा सकता है।

(ii) किसी भी समय पर एक स्वंयसेवी संगठन को एक राज्य में 30,000 हैक्टेयर से अधिक क्षेत्र नहीं सौंपा जा सकता है।

(iii) किसी भी मामले में एक राज्य में एक समय पर स्वयंसेवी संगठनों द्वारा कुल परियोजनाओं की एक चौथाई परियोजनओं से अधिक परियोजनाएं कार्यान्वित नहीं की जाएगी।

परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी की भूमिका और उत्तरदायित्व–

परियोजना कार्यान्वय एजेंसी सहभागी ग्रामीण मूल्यांकन (पी. आर. ए.) प्रक्रिया के जरिए वाटरशेड के संबंध में विकास योजनाओं को तैयार करते हेतु ग्राम पंचायतों को आवश्यक तकनीकी मार्गदर्शन उपलब्ध करायेगी, ग्राम समुदायों के लिए सामुदायिक संगठन और प्रशिक्षण का कार्य शुरू करेगी, वाटरशेड विकास कार्यकलापों का पर्यवेक्षण करेगी, परियोजना लेखों को निरीक्षण और उन्हें प्रमाणित करेगी, किफायती प्रौद्योगिकियों को अपनाने और स्वदेशी तकनीकी जानकारी के संवर्धन को प्रोत्साहन देगी, समग्र परियोजना कार्यान्वयन की निगरानी और समीक्षा करेगी तथा परियोजना उपरांत प्रचालन और अनुरक्षण के लिए तथा परियोजना अवधि के दौरान सृजित की गई परिसम्पतियों के आगे और विकास के लिए संस्थागत व्यवस्थाएं स्थापित करेगी।

परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी ध्यानपूर्वक संवीक्षा करने के पश्चात् डी. डब्ल्य. डी. यू./डी. आर. डी. ए. के अनुमोदन हेतु वाटरशेड विकास परियोजना के संबंध में कार्य योजना तथा अन्य व्यवस्थाएं प्रस्तुत करेगी। परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी डी. डब्ल्यू. डी. यू. को आवधिक प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी आरंभ किए गए कार्यों के वास्तविक, वित्तीय तथा समाजिक लेखापरीक्षा की भी व्यस्था करेगी। यह सरकार के अन्य कार्यक्रमों जैसे एन. आर. ई. जी. ए., बी. आर. जी. एफ., एस. जी. आर. वाई. राष्ट्रीय बागवानी मिशन, जनजातीय कल्याण योजनाएं, भू–जल की कृत्रिम पुनः भराई, हरित भार (ग्रीनिंग इंडिया) आदि कार्यक्रमों से अतिरिक्त वित्तीय संसाधन जुटाने की सुविधाजनक बनाएगी।

1.2 वाटरशेड विकास दल :

वाटरशेड विकास दल (डब्ल्यू. डी. टी.) परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी (पी. आई. ए.) का एक अभिन्न भाग है और इसे परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा गठित किया जाएगा। प्रत्येक वाटरशेड विकास दल में मुख्यतः कृषि, मृदा विज्ञान, जल प्रबंधन, सामाजिक संघटन तथा संस्थागत निर्माण में व्यावक जानकारी और अनुभव रखने वाले कम से कम चार सदस्य शामिल होने चाहिए। डब्ल्यू. डी. टी में

Scanned with CamScanner

कम से कम एक सदस्य महिला होनी चाहिए। वाटरशेड विकास दल के सदस्यों के पास अधिमानतः कोई व्यावसायिक डिग्री होनी चाहिए। तथापि, शैक्षिक योग्यता में अभ्यर्थी के व्यावहारिक क्षेत्रीय अनुभव को ध्यान में रखते हुए उचित मामलों में राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी के अनुमोदन से जिला वाटरशेड विकास इकाई द्वारा छूट दी जा सकती हैं वाटरशेड विकास दल को, जहां तक संभव हो, वाटरशेड परियोजना के निकट ही अवस्थित किया जाना चाहिए। इसके साथ–साथ यह अवश्य ही सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि वाटरशेड विकास दल को जिला तथा राज्य स्तर पर विशेषज्ञों के दल के साथ घनिष्ठ सहयोग से कार्य करना चाहिए। वाटरशेड विकास दल के सदस्यों के वेतन संबंधी व्यय को परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी की प्रशासनिक सहायता में से प्रभारित किया जाएगा। जिला वाटरशेड विकास इकाई (डी. डब्ल्यू. डी. यू.), वाटरशेड विकास दल के सदस्यों के प्रशिक्षण हेतु सुविधा उपलब्ध कराएगी।

वाटरशेड विकास दल (डब्ल्यू. डी. टी.) की भूमिका और उत्तरदायित्व :

वाटरशेड विकास दल वाटरशेड कार्य योजना तैयार करने में वाटरशेड समिति (डब्लयू. सी.) का मार्गदर्शन करेगा। वाटरशेड विकास दल की भूमिका तथा उत्तरदायित्वों की दिर्शित सूची में अन्य बातों के साथ–साथ निम्नलिखित बातें शमिल होगी :–

क) ग्राम पंचायत / ग्राम सभा की वाटरशेड समिति के गठन में और इसके कार्यकरण में सहायता करना।

ख) प्रयोक्ता समूहों तथा स्व–सहायता समूहों का गठन करना तथा इन्हें पोषित करना।

ग) यह सुनिश्चित करने के लिए कि वाटरशेड कार्य योजना में महिलाओं के प्रति संभावनों तथा उनके हितों को पर्याप्त रूप से प्रदर्शित किया गया है, महिलाओं को संगठित करना।

घ) सहभागी आधारमूलक सर्वेक्षण करना, प्रशिक्षण देना तथा क्षमता निर्माण करना।

ड़) परिवार स्तर पर सतत् जीविका साधनों को बढ़ावा देने के लिए जल तथा भूमि संरक्षण या भूमि को पुनः उपयोग योग्य बातें सहित विस्तृत संसाधन विकास योजनाएं तैयार करना।

च) सार्वजनिक सम्पत्ति संसाधन प्रबंधन तथा समान भागीदारी।

छ) ग्राम सभा के विचारार्थ विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी. पी. आर.) तैयार करना।

ज) निर्मित की जाने वाली किसी भी संरचना के लिए इंजीनियरी सर्वेक्षण करना, इंजीनियरी अभिकल्प तथा लागत अनुमान तैयार करना।

झ) किए गए कार्य की निगरानी, जांच, आकलन, वास्तविक सत्यापन और मापन का कार्य करना।

ञ) भूमिहीनों के लिए जीविका अवसरों के विकास में सहायता करना।

ट) परियोजना लेखों का रख–रखाव करना।

ठ) आरंभ किए गए कार्य की वास्तविक, वित्तीय तथा सागाजिक लेखा–परीखा की व्यवस्था करना।

ड) परियोजनापरांत प्रचालन, अनुरक्षण तथा परियोजना अवधि के दौरान सृजित की गई परिसम्पतियों का गविष्य गें विकारा करने हेतु उपयुक्त व्यवरथाएं रथापित करना।

Scanned with CamScanner

2. ग्राम स्तर पर संस्थागत व्यवस्थाएं तथा लोगों की भागीदारी–

2.1 स्व–सहायता समूह :

वाटरशेड समिति (डब्ल्यू. सी.), वाटरशेड विकास दल की सहायता से गरीब, छोटे तथा सीमान्त किसानों के परिवारों, भूमिहीन/सम्पत्तिहीन गरीब, खेतिहर मजदूरों, महिलाओं, चरवाहों तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों में से वाटरशेड खेत्र में स्व–सहायता समूह गठित करेगी। ये समूह समान पहचान तथा हित वाले समरूप समूह होंगे, जो अपनी जीविका के लिए वाटरशेड क्षेत्र पर निर्भर हैं। प्रत्येक स्व–सहायता समूह को नोडल मंत्रालय द्वारा निर्धारित की जाने वाली राशि की परिक्रामी निधि उपलब्ध करायी जायगी।

2.2 प्रयोक्ता समूह :

वाटरशेड समिति (डब्ल्यू. सी.) वाटरशेड विकास दल की सहायता से वाटरशेड क्षेत्र में प्रयोक्ता समूह भी गठित करेगी। ये प्रत्येक कार्य/कार्यकलाप से अत्यधिक प्रभावित वयक्तियों के समनुरूप समूह होंगे और इनमें वाटरशेड क्षेत्र में भूमि–जोत रखने वाले व्यक्ति शमिल होंगे। प्रत्येक प्रयोक्ता समूह में वे लोग शमिल होंग जिन्हें वाटरशेड संबंधी किसी विशिष्ट कार्य या कार्यकलाप से प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त होने की संभावना है। वाटरशेड समिति वाटरशेड विकास दल की सहायता से मानता और सततता के सिद्धान्तों के आधार पर प्रयोक्ता समूहों के बीच संसाधन उपयोग करारों को सुविधाजनक बनाएगी। हन करारों को संबंधित कार्य शुरू किए जाने से पूर्व अवश्य ही तैयार कर लेना चाहिए। इसे उस कार्यकलाप के लिए पूर्व–शर्त के रूप में माना जाना चाहिए। प्रयोक्ता समूह, ग्राम पंचायत तथा ग्राम सभा के घनिष्ठ सहयोग से परियोजना के अंतर्गत सृजित सभी परिसम्पत्तियों के प्रचालन तथा अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी होंगे।

2.3 वाटरशेड समिति (डब्ल्यू. सी.) :

ग्राम सभा वाटरशेड विकास दल की तकनीकी सहायता से वाटरशेड परियोजना कार्यान्वित करने के लिए गांव में वाटरशेड समिति (डब्ल्यू. सी.) गठित करेगी। वाटरशेड समिति को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत पंजीकृत कराया जाना होगा। ग्राम सभा गांव के किसी सुयोग्य व्यक्ति को वाटरशेड समिति के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित/नियुक्त कर सकती है वाटरशेड समिति का सचित वाटरशेड समिति का वैतनिक कार्यकर्त्ता होगा। वाटरशेड समिति में कम से कम 10 सदस्य होंगे, जिनमें से आधे सदस्य गाँव में स्व–सहायता समूहों तथा प्रयोक्त समूहों, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातीय समुदाय, महिलाओं तथा भूमिहीन व्यक्तियों के प्रतिनिधि होंगें। वाटरशेड विकास दल का एक सदस्य वाटरशेड समिति में भी प्रतिनिधि के रूप में शामिल होगा। जहां एक पंचायत में एक से अधिक गांव शामिल हों, वहां वे संबंधित गाँव में वाटरशेड विकास परियोजना के प्रबंधन हेतु प्रत्येक गांव के लिए एक पृथक उप–समिति गठित करेंगे। जहां एक वाटरशेड परियोजना में एक से अधिक पंचायतें शामिल होंगी वहां प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए अलग से समितियां गठित की जाएगी। वाटरशेड समिति को किराए पर एक स्वतंत्र कार्यालय स्थान उपलब्ध कराया जाएगा।

Scanned with CamScanner

वाटरशेड समिति वाटरशेड परियोजनाओं के लिए निधियां प्राप्त करने हेतु एक पृथक बैंक खाता खोलेगी और इस निधि को अपने कार्यकलापों को करने के लिए उपयोग में लाएगी। वाटरशेड विकास दल के सदस्यों तथा वाटरशेड समिति के सचिव के वेतनों संबंधी व्यय को परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी को व्यावसायिक सहायता के अंतर्गत प्रशासनिक व्यय मद में से प्रभारित किया जाएगा।

2.4 सचिव, वाटरशेड समिति :

ग्राम वाटरशेड समिति (डब्ल्यू. सी.) के सचिव का चयन ग्राम सभा की बैठक में किया जाएगा। यह व्यक्ति एक स्वतंत्र वेतनभोगी कार्यकर्त्ता होगा जो पंचायत सचिव से अलग एवं पृथक होगा। वह एक समर्पित कार्यकर्त्ता होगा जिसके पास वाटरशेड समिति की सहायता करने के अलावा कोई अन्य जिम्मेदारी नहीं होगी और वह वाटरशेड समिति के अध्यक्ष के प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण के अंतर्गत कार्य करेगा और उसका चयन योग्यता और अनुभव के आधार पर किया जाएगा। वाटरशेड समिति के सचिव को अदा किए जाने वाले मानदेय से संबंधित व्यय को परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी को प्रशासनिक सहायता मद में से प्रभारित किया जाएगा। वाटरशेड समिति का सचिव निम्नलिखित कार्यों के लिए उत्तरदायी होगा :–

क) वाटरशेड विकास परियोजना के संदर्भ में निर्णय करने की प्रक्रियाओं को सुसाध्य बनाने हेतु ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, वाटरशेड समिति की बैठकें आयोजित करना।

ख) सभी निर्णयों के संबंध में अनुवर्ती कार्रवाई करना।

ग) परियोजना कार्यकलापों तथा ग्राम पंचायत, वाटरशेड समिति तथा वाटरशेड विकास परियोजना संबंधी अन्य संस्थाओं की बैठकों की कार्यवाहियों के सभी अभिलेखों को रखना।

घ) भुगतानों तथा अन्य वित्तीय लेन–देनों को सुनिश्चित करना।

ङ) वाटरशेड समिति की ओर से वाटरशेड विकास दल के नामिती के साथ चैकों पर संयुक्त रूप से हस्ताक्षर करना।

2.5 ग्राम पंचायत की भूमिका :

ग्राम पंचायत निम्नलिखित महत्वपूर्ण कार्य निष्पादित करेगी :–

क) समय – समय पर वाटरशेड समिति का पर्यवेक्षण करना, उसे सहायता देना और सलाह देना।

ख) वाटरशेड समिति तथा वाटरशेड परियोजना की अन्य संस्थाओं के लेखों/व्यय विवरणों को प्रमाणित करना।

ग) वाटरशेड विकास परियोजना की संस्थाओं के लिए विभिन्न परियोजनाओं/योजनाओं के एकीकरण को सुविधाजनक बनाना।

घ) वाटरशेड विकास परियोजनाओं के अंतर्गत परिसम्पति रजिस्टरों का इन्हें वाटरशेड विकास परियोजना के पूरा होने के बाद भी रखने के उदेश्य से रख–रखाव करना।

Scanned with CamScanner

ङ) वाटरशेड समिति को कार्यालय हेतु स्थान मुहैया कराना तथा अन्य आवश्यकताएं पूरी करना।

च) पात्र प्रयोक्ता समूहों/स्व–सहायता समूहों को सृजित की गई परिसम्पत्तियों के संबंध में भोगाधिकार प्रदान करना।

3. वाटरशेड परियोजनाओं के चयन के लिए मानदण्ड :

वाटरशेड विकास परियोजनाओं के चयन में और प्राथमिकता निर्धारित करने में निम्नलिखित मानदण्डों को व्यापक रूप से उपयोग में लाया जाएगा :–

क) पेयजल की अत्यधिक कमी।

ख) भू–जल संसाधनों का अत्यधिक दोहन।

ग) बंजरभुमि/अवक्रमित भूति की अधिकता।

घ) पहले ही विकसित/सुधार किए जा चुके किसी अन्य वाटरशेड के साथ निकटता।

ङ) स्वैच्छिक रूप से योगदान करने, सामान्य सम्पत्ति संसाधनों का बांटने के लिए समान सामाजिक विनियमों को लागू करने, लाभों का समान वितरण करने तथा सृजित की गई परिसम्पत्तियों के संचालन एवं रखरखाव हेतु व्यवस्थाएं करने के लिए ग्रामीण समुदाय की सहमति होना।

च) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों का अनुपात।

छ) परियोजना का क्षेत्र सुनिश्चित सिंचाई के अंतर्गत शामिल नहीं होना चाहिए।

ज) भूमि की उत्पादन क्षमता।

4. परियोजना प्रबंधन :

वाटरशेड विकास परियोजनाओं के मुख्य कार्यकलापों को (i) प्रारंभिक चरण (ii) कार्य चरण और (iii) समेकन तथा निवर्तन चरण के रूप में क्रमबद्ध किया जाएगा। वाटरशेड विकास कार्यक्रम के अंतर्गत बढ़ाए गए कार्यक्षेत्र तथा प्रत्याशाओं को मद्देनजर रखते हुए परियोजना की अवधि, कार्यकलापों और मंत्रालयों/विभागों पर निर्भर करते हुए चार से सात वर्षों के बीच हो सकती है। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी पी आर) में प्रस्तावित परियोजना अवधि के संबंध में विस्तृत रूप से औचित्य प्रस्तुत किया जाना चाहिए। परियोजना अवधि को नोडल मंत्रालय के निर्णयानुसार तथा नीचे दिए गए अनुसार तीन अलग–अलग चरणों में बांटा जा सकता है :–

चरण	नाम	अवधि
I	प्रारंभिक चरण	1–2 वर्ष
II	वाटरशेड कार्य चरण	2–3 वर्ष
III	समेकन और निवर्तन चरण	1–2 वर्ष

Scanned with CamScanner

कृषि आधारित उत्पादन प्रणालियों / कृषि से इतर जीविका–साधनों का संवर्धन :

क) परियोजना के अंतर्गत परिक्रामी निधि और बाह्य संस्थाओं से ऋण तथा तकनीकी सहायता के जरिए उपरोक्त पहलुओं से संबंधित सफल अनुभवों को आगे और बढ़ाना।

ख) कृषि प्रसंस्करण, उत्पादों की विपणन व्यवस्थाओं तथा इसी प्रकार के कृषि से इतर और अनौपचारिक क्षेत्र के उद्यमों को बढ़ावा देना।

ग) किसानों को गैर–कीटनाशी प्रबंधन, कम कीमत वाली जैव–निविष्टयों को प्रयोग करने, बीज–फार्मों को विकसित करने तथ प्रतिस्पर्धी मूल्य प्राप्त करने हेतु व्यापक बाजारों के साथ संपर्क स्थापित करने हेतु भी प्रोत्साहित करना।

परियोजना प्रबंधन से संबंधित पहलू :

क) समेकन चरण के दौरान किए गए जाने वाले कार्यकलापों की सहभागी आधार पर आयोजना, कार्यान्वयन तथा निगरानी।

ख) प्रत्याशित परिणामों के अनुसार परियोजना का अंतिम मूल्यांकन।

आर्थिक कार्यकलापों को वांछित स्तर पर सहायता देने के लिए गाँवों के एक समूह के स्तर पर परिसंघों की रचना की जा सकती हैं ये परिसंघ जानकारी, ऋण, निवेश प्रापत करने, स्थानीय उत्पादों के विक्रय, निर्यात की दृष्टि से प्रसंस्करण कार्यकलाप करने के लिए बाह्य संसाधन एजेंसियों के साथ स्थापित संपर्कों को आगे मजबूत और सक्रिय बनाएंगे। इन कार्यकलापों में, कार्यकलापों की बैंक ग्राह्यता का प्रयास किया जाएगा। इसके साथ–साथ स्थानीय स्तर की संस्थाओं के परिपक्व होने तथा परियोजना कार्यान्वययन एजेंसी के लिए बहिर्गमन व्यवस्था (एग्जिट प्रातोकोल) लागू होने की प्रत्याशा की जाती है। वाटरशेड समितियां, चरण–II के दौरान सृजित की गई संरचनाओं की मरम्मत और रखरखाव हेतु वाटरशेड विकास निधि का उपयोग कर सकती हैं।

तीनों चरणों में कार्यकलापों के वर्गीकरण का कड़ाई से पालन नहीं किया जाना चाहिए। बहुत से वाटरशेड़ों में चरण–III के कई कार्यकलापों को चरण – I और/अथवा II के दौरान भी शुरू किया जा सकता है। कार्यकलापों को चरणबद्ध बनाने हेतु आंतरिक तर्क संगतता और ईमानदारी की आवश्यकता है, जो संपूर्ण कार्य योजना के दौरान कायम रखी जानी चाहिए। यह प्रत्येक गाँव में व्याप्त प्रारंभिक स्थितियों, आवश्यकताओं और संभावनों, समुदाय की प्रतिक्रिया आदि जैसे तमाम कारणों पर निर्भर होगा। ऐसी लोचशीलता को कार्रवाई योजना में अवश्य ही शामिल किया जाना चाहिए तथा इसे इन मार्गदर्शी सिद्धांतों की एक विशिष्ट विशेषता के रूप में देखना होगा।

निधियों का आबंटन, परियोजनाओं को अनुमोदित करना तथा निधियाँ जारी करना :

i) राज्यों को निधियों का आबंटन

नोडल मंत्रालय/विभाग राज्यों के बीच परियोजनाओं के लिए बजटीय परिव्यय का आबंटन

Scanned with CamScanner

निम्नलिखित मानदण्डों तथा राज्य के पूर्व कार्य निष्पादन (वास्तविक और वित्तीय) अर्थात जिन योजनाओं के अंतर्गत राज्यों के पास वाटरशेड तथा अन्य योजनाओं के बीच निधियाँ आबंटित करने की लोचशीलता है, को छोड़कर खर्च न की गई शेष राशि, बकाया उपयोग प्रमाण–पत्र, कुल परियोजनाओं में से पूरी हुई परियोजनाओं की प्रतिशतता आदि को ध्यान में रखते हुए करेगा।

क) वाटरशेड आधारित विकास परियोजनाओं के संबंध में राज्य स्तरीय संदर्शी और कार्यनीतिक योजनाएँ।

ख) देश में कुल कृषित क्षेत्र की तुलना में राज्य में वर्षासिंचित क्षेत्र की प्रतिशतता।

ग) देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र की तलुना में राज्य में बंजरभूमि / अवक्रमित भूमि की प्रतिशतता।

ii) जिलों को निधियों का आंबटन :

राज्य स्तरीय नोडल एजेंसियाँ निम्नलिखित मानदण्डों को ध्यान में रखते हुए जिलों को निधियाँ वितरित करेंगी :–

क) वाटरशेड आधारित विकास परियोजनाओं के संबंध में जिला स्तरीय संदर्शी और कार्यनीति योजनाएं।

ख) राज्य के कुल कृषित क्षेत्र की तुलना में जिले में वर्षासिंचित क्षेत्र की प्रतिशतता।

ग) राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र की तलुना में जिले में बंजरभूमि / अवक्रमित भूमि / पंचायत भूमि की प्रतिशतता।

iii) वाटरशेड विकास परियोजनाओं का अनुमोदन और स्वीकृति :

प्रत्येक वर्ष फरवरी के अंत तक, राज्य चल रही प्रतिबद्ध देयताओं के साथ–साथ नई परियोजनाओं जिन्हें वे शुरू करना चाहते हैं, को दर्शाते हुए विस्तृत वार्षिक कार्य योजनाएं प्रस्तुत करेंगे। तत्पश्चात्, विभाग की केन्द्र स्तरीय नोडल एजेंसी वर्ष के लिए उपलब्ध कुल बजट तथा राज्यों को निधियों का आवंटन तथा जिलों को निधियों का आवंटन में दिए गए मानदण्डों के आधार पर उन राज्यों जिनसे प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, को अलग–अलग विशिष्ट राशियाँ आबंटित करेगी। राज्यों द्वारा चल रही तथा नई परियोजनाओं के लिए अपना आबंटन प्राप्त करने के पश्चात्, वे राज्य आबंटन के भीतर अपनी परियोजनाएं स्वीकृत करने हेतु स्वतंत्र होंगे। राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी (एस. एल. एन. ए.) से नई परियोजनाओं के लिए स्वीकृति आदेश प्राप्त होने पर नोडल मंत्रालय जिला स्तरीय एजेंसी को सीधे निधियाँ जारी करेगा। तथापि, यदि जिला स्तरीय एजेंसी को सीधे निधियाँ जारी करेगा। तथापि, यदि जिला स्तरीय एजेंसी को निधियाँ जारी करना व्यवहार्य नहीं हो ,तो विभागीय नोडल एजेंसियों की निधियाँ जारी करने संबंधी मौजूदा प्रक्रिया जारी रह सकती है।

विशिष्ट वाटरशेड परियोजनाओं के लिए उनमें शमिल विभिन्न संघटकों के संबंध में बजट का वितरण निम्नानुसार है :–

Scanned with CamScanner

बजट संघटक	बजट की प्रतिशतता
– प्रशासनिक लागत – निगरानी – मूल्यांकन	10 1 1
प्रारम्भिक चरण, निम्नलिखित सहित – प्रारम्भिक कार्यकलाप – संस्थापन तथा क्षमता निर्माण – विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी. पी. आर.)	 4 5 1
वाटरशेड कार्य चरण – – वाटरशेड विकास कार्य, – गरीबी रेखा से नीचे के (बी. पी. एल.) तथा भूमिहीन व्यक्तियों के लिए आजीविका संबंधी कार्यकलाप, – उत्पादन प्रणाली तथा अति लघु (माइक्रो) उद्यम	 50 10 13
समेकन चरण	5
योग	**100**

परियोजना बजट के विभिन्न संघटकों के अंतर्गत व्यय निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन होगा–

(i) वाटरशेड विकास दलों/वाटरशेड समितियों के सचिव आदि के वेतनों का भुगतान केवल प्रशासनिक लागत संघटक से ही किया जाएगा।

(ii) परियोजना लागत के प्रत्येक संघटक में बचतें, यदि कोई हों, तो उन्हें केवल वाटरशेड कार्यों के लिए ही उपयोग में लाया जा सकता है।

(iii) वाहनों तथा अन्य उपस्करों आदि की खरीद करने और भवनों का निर्माण करने की अनुमति नहीं है। तथापि, कम्प्यूटरों और संबंधित सॉफ्टवेयर की खरीद करने की अनुमति है।

(iv) समनुरूप विभागों से संबंध रखने वाली परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियां, सामुदायिक संघटन तथा क्षमता निर्माण कार्यकलापों के संबंध में बाहर से सहायता लेने हेतु वी.ओ./सी.बी.ओ. को तरजीह दे सकती है।

वाटरशेड विकास हेतु मौजूदा इकाई लागत 6000/– रुपये प्रति हैक्टेयर है, जो अप्रैल, 2001 में निर्धारित की गई थी। तथापि, 11वीं योजना के दौरान इसे निम्नलिखित तीन पहलुओं– (क) कृषि प्रणालियों के जरिए उत्पादकता में सुधार सहित आजीविका साधनों को बढ़ावा देने, (ख) सामान्य/वन भूमि सहित वाटरशेड के अंतर्गत क्षेत्र की पूर्ण करवरेज, और (ग) सामग्री की कीमत तथा श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी में सामान्य वृद्धि को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त रूप से संशोधित किया जा रहा है।

संदर्भ :– वाटरशेड विकास परियोजनाओं के लिए समान मार्गदर्शी सिद्धांत 2008, राष्ट्रीय वर्षासिंचित क्षेत्र प्राधिकरण, नई दिल्ली।

❑❑❑

Scanned with CamScanner